संख्या:112/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 08 मार्च, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- गोरखपुर में सड़क निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों की रू. **9333.80** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **5600.28** लाख (रूपये छप्पन करोड़ अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये नगर निगम, गोरखपुर कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
1	महादेव झारखण्डी टू0नं0 01 में शक्ति हार्डवेयर से चौधरी निवास होते हुये यशोदा हार्डवेयर तक व लिकं गली में आर०सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	550	135.43	81.26
2	अभिषेक नगर में अंजनी मिश्रा के मकान से डी०एन० तिवारी तक व प्रमोद सिंह के मकान से बृजेश सिंह के मकान तक व लिकं गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण।	340	77.07	46.24
3	बाबा राघव दास नगर में जवाहर लाल मौर्या के मकान से नूतन श्रीवास्तव के मकान एवं जी०ओ० टावर से गीता सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क, साईड पटरी इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	335	103.25	61.95
4	सेमरा में भुआल चौधरी के मकान से जी०सी० श्रीवास्तव के मकान होते हुये सत्यलीला के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	445	127.5	76.5
5	सेमरा बाबा राघवनगर देवनाथ चौहान से शैलेन्द्र भारती होते हुए सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	600	122.11	73.27
6	सेमरा में मोगलहा पेट्रोल पम्प से अमित कुमार पटेल के मकान होते हुये इन्द्रावती देवी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	340	98.63	59.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
7	रानडिहा के अन्तर्गत देवरिया रोड से शिव मन्दिर होते हुये गत्ता फैक्ट्री तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	600	139.13	83.48
8	बाबा गम्भीर नाथ नगर मेडिकल रोड से शदाब व मोनू खान होते हुये मुर्गी फारम तक सी०सी० रोड व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	470	117.82	70.69
9	बाबा गम्भीर नाथ नगर में दोस मोहम्मद के मकान से अतहर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	265	70.35	42.21
10	बाबा गम्भीर नाथ नगर में मानबेला आवास रोड से मिश्रा सदन तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	185	43.54	26.12
11	मानबेला झुगिया प्राईमरी स्कूल के निकट मेन रोड से जयप्रकाश सिंह के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली निमार्ण का कार्य।	420	95.2	57.12
12	बाबा गम्भीर नाथ नगर के अन्तर्गत नौतन में भुल्लन के मकान से विनोद सिंह व पुनीत सिंह के मकान होते हुये नजीर खान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	385	77.39	46.43
13	बाबा गम्भीर नाथ नगर के अन्तर्गत नौतन में सत्येन्द्र नागवंशी के मकान से सुभमनी त्रिपाठी के मकान तक व अगल-बगल की गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	1025	206.55	123.93
14	जंगल सिकरी में मोहल्ला राम अवध नगर में विभिन्न गलियों में जलनिकासी हेतु आर०सी०सी० नाला व आलोक सिंह के मकान से मानवीय हास्पिटल होते हुये देवरिया रोड तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1450	187.13	112.28
15	नन्दानगर पवन बिहार में अमित कुमार के मकान से पी०आर० सैनिक स्कूल हुये संतोष पटेल के मकान तक आर०सी०सी० नाली, सी०सी० सड़क व साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	600	154.97	92.98
16	नन्दानगर में सी०सी० सड़क से एच०पी० स्कूल तक विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व विभिन्न गलियों सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	880	116.64	69.98
17	चरगांवा में बबलू प्रिंटर से रामा पासवान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	900	178.23	106.94
18	चरगाँवा में मिलेनियम सिटी में राजेश पाण्डेय, जयराम तिवारी व कृष्णमुरारी पाण्डेय से माधो पटेल तथा भगवान दास से अवधेश द्विवेदी के मकान तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० सड़क का निर्माण।	365	75.71	45.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
19	चरगाँवा रासीनगर फेज-4 स्थित रेल बिहार प्रथम की विभिन्न गलियों सी.सी. सड़क, आर.सी.सी. नाली व साईड पटरी निर्माण का कार्य।	1065	303.78	182.27
20	इन्द्रप्रस्थ कालोनी में मुख्य मार्ग से ट्रांसफामर से यादव मेडिकल तथा विभिन्न कच्ची सड़कों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	538	119.31	71.59
21	नकहा में लोट्स वैली के पास के०के० पाण्डेय के मकान से विरेन्द्र तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	120	38.19	22.91
22	नकहा में स्पोर्ट कालेज मुख्य मार्ग से श्री राकेश सिंह बघेल मा० विधायक के आवास तक सी०सी० सड़क एवं पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	150	20.79	12.47
23	नकहा के अन्तर्गत गायत्रीपुरम में कुरैशी मटन शाप से मनीष सिंह के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	1064	195.42	117.25
24	नकहा के अन्तर्गत गायत्रीपुरम में एम०के० लॉन के सामने बृजेश यादव के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	761	95.31	57.19
25	नकहा के अन्तर्गत गायत्रीपुरम में लिटिल वान्डर स्कूल से सुखदेव के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	596	114.19	68.51
26	नकहा के अन्तर्गत कौशलपुरी कालोनी में विजय के मकान से रामजानकी नगर मुख्य मार्ग तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	445	96.07	57.64
27	नकहा के अन्तर्गत कौशलपुरी कालोनी में केशरी लाल के मकान से विजय के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	533	114.46	68.68
28	नकहा के अन्तर्गत विजय मल्ल के मकान से समय माता मन्दिर तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	765	146.72	88.03
29	नकहा के अन्तर्गत कौशलपुरम कालोनी में शिव शक्ति लॉन से अवस्थी मैरेज हाल तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	443	102.8	61.68
30	मोहरीपुर में भीमराम भारती के मकान से स्वतन्त्रप्रकाश के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	680	114.76	68.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
31	बड़गों में रमेश निषाद से ब्रह्मदेव राय तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य।	550	50.69	30.41
32	डा० राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत संतोष नगर में मुकेश कुमार गुप्ता के मकान से शिवम इण्डस्ट्रीज एवं विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	393	57.32	34.39
33	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत भाटी बिहार कालोनी में कुलदीप श्रीवास्तव के मकान से मुंशी चौहान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	153	32.44	19.46
34	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत उमापुरी कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व साईड पटरी इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण।	516	147.37	88.42
35	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर अन्तर्गत बंजरग कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	350	130.48	78.29
36	डा० राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत सोनौली मेन रोड से विभा सदन व सुसीला सदन होते हुये संतोष के मकान तक साईड पटरी इण्टरलाकिंग व सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	395	107.07	64.24
37	जनप्रिय बिहार में बजीराबाद में मछली दफ्तर से फुलवारी मैरेजहाल तक आर०सी०सी० नाली/सी०सी० सड़क का निर्माण।	400	91.06	54.64
38	शिवपुर में जेलबाई पास मुख्य मार्ग से भानुप्रताप सिंह के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	485	120.2	72.12
39	जंगल मातादीन में सफीउल्लाह के मकान से गोड़धुइया पुलिया तक तथा विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	715	88.59	53.15
40	झरनाटोला में नाथ जी मेमोरियल एकेडमी गेट से राजू के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर०सी०सी नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	450	77.97	46.78
41	झरनाटोला में पुलिस चौकी से नीनाथापा स्कूल होते हुये छावनी क्रासिंग तक आर०सी०सी० नाला व साइड पटरी पर इ०ला० निर्माण का कार्य।	620	129.97	77.98
42	गोपलापुर में शिव जैसवाल के मकान से रामजी सिंह के मकान होते हुये वी०आर०एस० गौतम तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	250	72.64	43.58
43	मुहल्ला पार्वतीनगर में मुख्य मार्ग से विकम सिंह के मकान होते हुये रामगढ़ताल बन्धे तक एवं लिंक गलियो में नाली व इ०ला० का कार्य।	580	52.97	31.78
44	गिरधरगंज में झारखण्डी मंदिर के पीछे से विजय के घर होते हुये बच्चा पाण्डेय से सुरेन्द्र सिंह दरोगा तक नाली व इ०ला० का कार्य।	470	40.93	24.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
45	आवास विकास मुख्य मार्ग से सुनील तिवारी के घर होते हुय स्वतंत्र कुमार मल्ल के मकान होते साहनी सिपाही के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	689	83.6	50.16
46	बेतियाहाता आवास विकास कालोनी में संदीप सुरेखा के मकान से श्याम पार्क, राधा पार्क व मीरा पार्क के चारों तरफ के समस्त गलिया होते हुये शांती निकेतन, लाल जी त्रिपाठी के मकान तक सड़क का नवीनीकरण व नाली व तथा साईट पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	1086	195.18	117.11
47	चतुवेर्दी भवन से ट्रांसफार्मर होते हुए मलीन बस्ती के विभिन्न गलियों में नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	1200	107.45	64.47
48	हरसेवकपुर में यशोदा राय के मकान से पारस प्रजापति के मकान होते हुये मुकेश के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	960	89.49	53.69
49	महादेवपुरम कालोनी के लेन नं0 04 में कोमल यादव के मकान व मुंशी शर्मा के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	966	80.08	48.05
50	इन्द्रप्रस्थपुरम कालोनी में सी०के० श्रीवास्तव के मकान से श्रीप्रकाश सिंह मकान तक व अगल-बगल गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	273	68.53	41.12
51	लोहियानगर के अन्तर्गत शिवपुर कालोनी में उमा के मकान से ट्रान्सफार्मर तक विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण।	787	132.27	79.36
52	भरवलियॉ (कजाकपुर) में काली माता मन्दिर से लोहिया चौक तक आर०सी०सी० नाली व मन्दिर के बगल वाली गली और के०डी० पब्लिक स्कूल वाली ब्रांच गली में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1020	88.35	53.01
53	गायघाट में सिंघासन यादव के मकान से अनिरूद्ध यादव के मकान तक व लिंक गलियों आर०सी०सी० नाली सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	380	80.21	48.13
54	माधोपुर में रवि शंकर के मकान से संजय, पवन, इन्द्रलोक के मकान से होते हुए गौड़ निवास तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	652	72.51	43.51
55	शाहपुर में एन० त्रिपाठी के मकान से स्वर्णलता के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	100	18.06	10.84
56	शाहपुर में रासी काम्पलेक्स के चारो ओर सी०सी० रोड व नाली निर्माण का कार्य।	250	60.17	36.1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
57	बसन्तपुर में डोमखाना हरिजन बस्ती (मोती जेल) में विरेन्द्र के मकान से अरूण के मकान तक नाली मरम्मत तथा अजय के घर से रार्बट के मकान तक तथा सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत व शकील अहमद के मकान से ट्रांसफार्मर तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	392	37.91	22.75
58	शक्तिनगर में कौशल किशोर सिंह के आवास से नमन प्रोविजन स्टोर होते हुये लार्ड बुद्धा गेस्ट हाउस तथा संगम पटेल से शर्मा जी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली एवं साईड पटरी पर इ०ला० निर्माण का कार्य।	580	141.95	85.17
59	शक्तिनगर में डी०आर० गुप्ता से अरूण पाण्डेय एवं ओ०पी० सिंह के मकान से गोरख के मकान होते हुये दर्गा मन्दिर तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	1060	244.6	146.76
60	शक्तिनगर में प्रीती बिहार में मूकल धर घोष, पी०एस० सिंह की गली एवं विमल स्कूल से डा० चतुर्वेदी तक विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	690	130.78	78.47
61	शक्तिनगर में गणेश आटा चक्की से रामप्रसाद सिंह होते हुय सूर्य प्रताप होते हुये लखन चन्द यादव तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	920	184.98	110.99
62	शक्तिनगर में मदन मोहन पाण्डेय के मकान से संजय सिंह के मकान होते हुये वधू मैरेज हाल होते हुये मुख्य मार्ग पैट्रोल पम्प तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	760	172.44	103.46
63	देवी प्रसाद नगर में निकट मलौनी बंधा रोड एन०पी० चिल्ड्रेन स्कूल से देव शर्मा राय के मकान से होते हुए बगिया माता मन्दिर व राकेश चौहान के मकान तक आर०सी०सी० नाली व सड़क निर्माण कार्य।	733	57.48	34.49
64	विचउपुर गांव से फर्टिलाइजर बाउण्ड्रीवाल तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० सड़क का कार्य।	800	126.81	76.09
65	उर्वरक नगर में अंकुर उद्योग से श्रवण के मकान होते हुये स्टीज फैक्ट्री तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	1024	257.44	154.46
66	इन्दिरा नगर में बाढ़ खण्ड ए०एम० कम्यूनिकेशन तक व लिंक गलियों में आर०सी०सी० नाली सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	360	47.86	28.72
67	इन्दिरा नगर में प्रो० एच०डी० पाण्डेय के मकान से सुशीला देवी के मकान तक व लिंक गलियों में आर०सी०सी० नाली सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	450	63.44	38.06
68	सूरजकुण्ड में सरजू आटा चक्की से मुन्ना तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	450	133.94	80.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
69	सूरजकुण्ड में भूत पूर्व सैनिक राधेश्याम सिंह के मकान से पूल से होते हुये श्री निवास तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० सड़क का निर्माण।	400	116.35	69.81
70	सूरजकुण्ड में हरि निवास से रत्नेश्वर दूबे के मकान तक तथा जय प्रकाश के मकान तक व विभिन्न सड़कों का सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	700	114.03	68.42
71	आत्माराम नगर में बेनीगंज चौक से भाजपा कार्यालय होते हुये चरनलाल चौक तक एण्ड टू एण्ड पेविंग का कार्य।	390	73.04	43.82
72	विकास नगर में अखाड़ा से सुलभ शौचालय तक साइड पटरी व विभिन्न गलियो में सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	500	52.18	31.31
73	विष्णपुरम के अन्तर्गत राधेश्याम के मकान से आद्या प्रसाद के मकान होते हुये जावेद के मकान तक सी०सी० सड़क, साइड पटरी इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	300	71.98	43.19
74	विवेक मिश्रा के सामने से एम०आई०जी० 72 होते हुए कुंदन निवास तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	325	67.11	40.27
75	सरदार भगत सिंह नगर में चार फाटक रोड पर विद्युत मजदूर पंचायत भवन से पुराने महिन्द्रा गैस गोदाम एवं धोबी गली से डा० यस०यस० द्विवेदी के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं सी०सी० सड़क का कार्य।	147	65.28	39.17
76	चन्द्रशेखर आजाद चौक में रामाधर के मकान से सोहन, मुन्नर यादव के मकान से प्रदूमन सिंह के मकान तक व ब्रम्हा सिंह की गली, रिषीकेश सिंह की गली, वंशीधर पाण्डेय गली में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	892	153.9	92.34
77	चन्द्रशेखर आजाद चौक रूस्तमपुर चिलमापुर मुख्य मार्ग पर स्थित आजाद ट्रेडर्स से जामिया रिजविया ईदगाह चौक होते हुये चिलमापुर मुख्य मार्ग पर स्थित अताउल्लाह के मकान तक व इससे संलग्न विभिन्न गलियो में आर०सी०सी० नाली का निर्माण एवं सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	628	117.72	70.63
78	आजाद नगर मोहल्ला में सुरेन्द्र सिंह के मकान से मोती यादव के मकान तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण।	400	79.27	47.56
79	प्रतापनगर में नूर मस्जिद से रमाशंकर के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	500	107.32	64.39
80	चिलमापुर मुख्य मार्ग से संलग्न हैदर खान, हमीदुल्ला, मसूद व कुरैशी की गली में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य।	500	55.32	33.19

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि
81	आजाद चौक (रूस्तमपुर) मो० चिलमापुर में मजार से ट्रांसफार्मर होते हुये चिलमापुर मुख्य मार्ग पर संलग्न विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	473	80.94	48.56
82	सिविल लाइन्स प्रताप कोचिंग से ममता सिंह के मकान से विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सडक निर्माण का कार्य।	550	61.88	37.13
83	ट्रान्सफार्मर से कुन्ज बिहारी तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	260	30.97	18.58
84	सन्तझूलेलाल में फूले के मकान से सहदेव के मकान तक तथा आन्तरिक गली में सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	650	151.75	91.05
85	संत झूलेलाल नगर में श्री राम प्रोविजन स्टोर से एम०टी०एन० आइडियल स्कूल तक तथा डॉ० इरशाद से ट्यूबेल तक सी०सी० सड़क व नाला का निर्माण कार्य।	635	90.47	54.28
86	शिवाजी नगर में होली फ्लेम एकडमी से संगम पाण्डेय के मकान होते हुये प्रीतम पाण्डेय के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य तथा विनीत सिंह के मकान से अभिषेक के मकान तक आर०सी०सी० नाला व सड़क निर्माण का कार्य।	281	49.47	29.68
87	महुईसुधरपुर में विवेकपुरम में सिकन्दर यादव के मकान से शिव शंकर पाण्डेय के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	520	114	68.40
88	महुईसुधरपुर में काली मंदिर से फुलवरिया में विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	520	94.16	56.51
89	रासीनगर के अन्तर्गत चन्द्रगुप्त नगर में प्रदीप चन्द त्रिपाठी के मकान से अशोक भवन, जी०पी० मल्ल, मदर माठण्ट स्कूल होते हुये रतनेश मिश्रा के मकान तक आर०सी०सी० नाली, सी०सी० सड़क व साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	315	122.98	73.79
	योग:	**50110**	**9333.80**	**5600.28**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
10. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
15. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2024 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2024 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
17. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
18. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
19. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
20. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

21. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
22. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
23. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
24. प्रश्नगत कार्यों के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. **56,00,28,000/-** (रूपये छप्पन करोड़ अट्ठाइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370302 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:112/2024/121(1)/35-4-2024(1)/35-4099/27/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- अधिशासी अभियंता, नगर निगम, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।